न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गंगाराम पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी आबूपर्वत व अन्य – 1		विजय सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी सालगांव, आबूपर्वत व अन्य – 1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 17/2025

दिनांक 27/2/2026

–: आदेश :–

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. में अंकित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे खातेदारी की है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके तत्कालीन खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा वादग्रस्त भूमि में जो पत्थर ईट वगैरह पड़े हुये है वह भी प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व के है। कि उक्त वाद में वादीगण ने स्वयं को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है जबकि वादीगण का वादग्रस्त भूखण्ड़ पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है और कृषि भूमि के संबंध में एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है और उपरोकत कारण से वादीगण का वाद विधि द्वारा वाधित होने से रिजेक्ट कर खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर निर्बाध 22 वर्ष का शांतिपुर्ण कब्जा रहा है एवं आज दिनांक तक उक्त भूमि वादीगण के कब्जे में ही है। तथा वादग्रस्त भुमि में जो पत्थर, ईट वगैरह पड़े हुये है वह भी प्रतिवादी संख्या 1 के नही होकर वादीगण के स्वामित्व के है। यह कि वादीगण का उक्त भूमि के पूर्व खातेदार मफत भाई से मौखिक संविदा कर प्रथम अग्र क्रय अधिकार अन्तरित किया गया था जो कि साक्ष्य का विषय होने से इस प्रार्थना पत्र पर पोषणीय नही है। यह कि भूमि के संबंध में एडवर्स पजेशन के आधार पर अनुतोष दिये जाने के पर्याप्त कानुनी आधार उपलब्ध है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं मनन करने पर पाया कि वादीगण ने कदीमी कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा का वाद पेश किया है। चूंकि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का नियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान में नही है।

ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188,91,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठीत धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.17 10:56:40 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.

सहायक कलक्टर

आबूपर्वत